

आज सिंगह से वादी द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम
09 जा. दी. एवं धारा 151 जा.दी. स्वीकार किये जाने से पेश हुई।
प्रकरण नवीन रूप से दर्ज किया जाकर पत्रायली आगामी दिनांक
016.10.2025 को पेश हो।

6.10.25

उपरखण्ड अधिकारी
तलियाकलाँ भलताडा सं.

पत्रायली पेश हुई। अन्य पक्ष उपस्थित P.O. से
अन्य कार्य में व्यस्त। बाहर पक्ष/अभियान में पक्षा
अवकाश न है। अतः पत्रायली अर्जित दिनांक
27-11-25 को पेश हो।

21/11

पत्रायली पेश हुई। अन्य पक्ष उपस्थित P.O. से
अन्य कार्य में व्यस्त। बाहर पक्ष/अभियान में पक्षा
अवकाश न है। अतः पत्रायली अर्जित दिनांक
21-01-26 को पेश हो।

उपरखण्ड अधिकारी
तलियाकलाँ भलताडा सं.

01.26

पत्रायली पेश हुई। अन्य पक्ष उपस्थित P.O. से
अन्य कार्य में व्यस्त। बाहर पक्ष/अभियान में पक्षा
अवकाश न है। अतः पत्रायली अर्जित दिनांक
21-01-26 को पेश हो।

11/26

पत्रायली पेश हुई। अन्य पक्ष उपस्थित P.O. से
अन्य कार्य में व्यस्त। बाहर पक्ष/अभियान में पक्षा
अवकाश न है। अतः पत्रायली अर्जित दिनांक
26/2/26 को पेश हो।

12/26

पत्रायली पेश हुई। अन्य पक्ष उपस्थित P.O. से
अन्य कार्य में व्यस्त। बाहर पक्ष/अभियान में पक्षा
अवकाश न है। अतः पत्रायली अर्जित दिनांक
2/4/26 को पेश हो।

126

विशेष पेश है। वादी पक्ष एवं पक्षी वकील को
रुकावट कर लेने का आवाज म्कार्व गरी बिना
इजाजत नहीं। अतः पक्षी वकील को अडमकमी
लगा अडमक पेशी के कारण CPC के 012R111 के
प्रावधान अनुसार विनीत किया जाता है प्रजावमी
केस में सुका एका नम्ब से कम है
निर्णय पक्षी वकील के सुनाया गया प्रजावमी नम्बर 126 है

उपरखण्ड अधिकारी
तलियाकलाँ भलताडा सं.